# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 34/2015

निर्णय दिनांक :–24.09.19

उनवानी दावा :

1. रामस्वरूप पुत्र श्री कजोडमल जाति ब्राहम्ण निवासी धुवाकलां तहसील–दूनी जिला–टोंक

बनाम

– वादी –

1. दुर्गालाल पुत्र नन्दा जाति नाई निवासी धुवांकला तहसील दूनी जिला–टोंक
2. रामस्वरूप पुत्र नन्दा जाति नाई निवासी धुवांकला तहसील दूनी जिला–टोंक
3. गीता पुत्री नन्दा जाति नाई निवासी धुवांकला तहसील दूनी जिला–टोंक
4. दुर्गा पुत्री नन्दा जाति नाई निवासी धुवांकला तहसील दूनी जिला–टोंक
5. तहसीलदार दूनी जिला–टोंक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

श्री प्रेमचन्द जैन

अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही

विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4

## दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 15.07.14 द्वारा इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि पक्षकारों के मौखिक/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः शीघ्राति शीघ्र विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ग्राम धुवांकला तहसील देवली जिला टोंक का निवासी है। वादी के कब्जे–काश्त की आराजीयात ख0नं0 414 रकबा 0.15 है0 एवं ख0नं0 415 रकबा 0.22 है0 ग्राम धुवांकला तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। वादी की उक्त आराजीयात चाह नं0 302 रकबा 0.03 है0 से लगभग 80–90 वर्षो से सिंचित होती चली आ रही है। जिसका साबिक ख0नं0 961 रकबा 4 बिस्वा है। उक्त चाह नं0 में छोगा पुत्र रघुनाथ व रामकुंवार पुत्र रोडू ब्राहम्ण का 1/2 हिस्सा संवत् 2031 से 2034 की जमाबंदी में दर्ज है। उक्त खातेदारों की मृत्यु लाऔलाद के रूप में हो चुकी है एवं जमना, घासी, मिश्रया, बरदा की मृत्यु भी लाऔलाद के रूप में हो चुकी है। इस प्रकार पक्षकार बनना आवश्यक नही है। वादी की उक्त आराजी चाह नं0 302 से सिंचित होती चली आ रही है। अतः उक्त चाह नं0 302 में वादी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित व्यक्ति वादी के गौत्रज थे। कूप विवरण पत्र सवत् 2028 से 2032 में वादी का नाम दर्ज है। नक्शा मौका चाह धुवांकला में भी वादी का नाम दर्ज है। खसरा पत्रक संवत् 2038 में भी वादी का नाम दर्ज है। उक्त चाह का उपयोग–उपभोग वादी ही करता चला आ रहा है। जिससे वादी का कब्जा काश्त काफी लम्बे समय से सिद्ध है। मिलान क्षैत्रफल संवत् 2046 से 2065 में उक्त चाह का साबिक ख0नं0 961 रकबा 4 बिस्वा है। जो वर्तमान में चाह नं0

302 रकबा 0.03 है0 है। अतः रिकार्ड को दुरूस्त करके उक्त चाह नं0 का रकबा 0.05 है0 किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर–चाकर या पारिवारिक सदस्यों से वादी के ख0नं0 302 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 चाह के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें, कुएं के चारों तरफ की दीवार नही बनाये एवं पाबंद रहें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। अधिवक्ता प्रतिपक्ष श्री बी.एल. मीणा ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता प्रतिपक्ष नं 2 वर्ष से अधिक समय व समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही किया। जवाब बंद कर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण को बहस में नियत किया गया।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के कब्जे–काश्त की भूमि ख0नं0 414 रकबा 0.15 है0 ख0नं0 415 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम धुवांकला चाह नं0 302 रकबा 0.03 से 80–90 वर्षो से सिंचित होती आयी है। इस चाह का साबिका ख0नं0 961 रकबा 4 बिस्वा है। उक्त चाह में जमाबंदी संवत 2031–34 में छोगा पुत्र रघुनाथ व रामकुंवार पुत्र रोडू जाति ब्राहम्ण का 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त खातेदारी की मृत्यु लाऔलाद रूप में हो चुकी है तथा जमना, घासी, भिण्डा, बरदा की मृत्यु भी लाऔलाद के रूप में हो चुकी है, यह सभी व्यक्ति वादी के गौत्रज थे। अतः वादी का नाम इस चाह में दर्ज किया जाए तथा चाह का रकबा दुरूस्त कर 3 एअर से 5 एअर किया जावे। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में कूप विवरण पत्र 2028–32 पेश किये है। इसके अलावा भू–प्रबंध विभाग का खसरा पत्रक संवत 2038 पेश किया जिसके अनुसार ख0नं0 414 व 415 में चाह नं0 302 से सिंचाई होना जाहिर होता है। कूप विवरण पत्र तथा मौजा धुवां तहसील परगना टोंक की जमाबंदी सन् 1915–16 में छोगा वल्द रूघनाथ का नाम दर्ज है जो वादी के गौत्रज है। अतः चाह के राजस्व रिकार्ड में वादी का हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए।

पत्रावली का अवलोकन किया था तथा वादी की बहस पर मनन किया। वादी का मुख्य तर्क यह है कि वादी की भूमि में उसकी खातेदारी का ख0नं0 414 व 415 ख0नं0 302 रकबा 3 एअर के चाह से लगभग 80–90 वर्षो से सिंचित होती चली आ रही है। अतः वादी के गौत्रज छोगा पुत्र रूघनाथ व रामकुंवार पुत्र रोडू जाति ब्राहम्ण के 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे।

वाद तथा बहस में वाद के अलावा विपरित कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर निर्भर होना जाहिर है। वादी छोगा पुत्र रूघनाथ व रामकुंवार पुत्र रोडू को केवल मात्र अपना गौत्रज बताया है। उक्त खातेदारों से वादी के संबंध तथा उत्तराधिकार के विषय में वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये है। पेरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में अंकित किया है कि वादी रामस्वरूप का पूर्व हल्के रिकार्ड में कोई अंकन नहीं है। कूप विवरण पत्र चाह नं0 302 से वादी की भूमि निरन्तर सिंचित होने बाबत् सेटलमेंट के बाद का कोई रिकार्ड पेश नही किया गया है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी 2061–64 (प्रदर्श–3) अनुसार वादी की भूमि ख0नं0 414 व 415 संपरिवर्तन होकर गै0मु0 आबादी में परिवर्तित हो चुकी है। आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि में कुएं से सिंचाई करने का भी कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है।

इस प्रकार यद्यपि वादी का कुआं ख0नं0 302 चाह निरन्तर प्रतिकुल कब्जा दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नही करवाया गया है परन्तु प्रतिकुल कब्जे से किसी व्यक्ति का खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकतें है। जैसा कि आर. आर. टी. 2017 (2) पेज 1139 माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादित किया गया है कि **No provision in tenancy act or conferment of khatedari rights on the basis of adverse possession.** माननीय राजस्व मण्डल अजमेर 2011 आर आर डी पेज 508 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एडवर्ज पजेशन से अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

इस प्रकार वादी को ख0नं0 302 चाह पर खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा का अधिकारी नहीं माना जा सकता है। अतः वाद सारहीन तथा विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनाकं 26.09.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली